(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं० ~~प्रार्थना पत्र सं.~~– 247/2018 दायरा दिनांक :–26.07.2018 निर्णय दिनांक :– 03.03.2021

1. शेरसिंह पुत्र मक्खन
2. रामनिवास पुत्र मक्खन
3. मामचन्द पुत्र फूलसिंह जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. करतार पुत्र हजारीलाल
2. सत्यपाल पुत्र हजारीलाल
3. करमेश पुत्र हजारीलाल जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय जिला अलवर राजस्थान।
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

दिनांक :– 03.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने आदेश पेश हुई। [illegible] पक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आ[illegible] जालावास तहसील मुण्डावर राज0 में स्थित है जो साबि[illegible] 656/2 र[illegible] बीघा 16 बिस्वा थे जिससे भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0 न0 779/0.23 व 780/0.21 है0 पैमूद किये हुए है। उक्त विवादित आराजी हम वादीगण के दादा मोठिया पुत्र तेजा क[illegible]ब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा उनकी मृत्यु पश्चात हम वादीगण के पिता एवम उनकी मृत्यु उपरांत हम

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। आज भी मौके पर हम काबिजकाश्त है। सजरा पेश है। नये ख0न0 बनाते समय हाल ख0न0 979/0.23 है0 तो हम वादीगण के दादा मोठिया के नाम सही दर्ज कर दिया परंतु ख0न0 780/0.21 है0 भी दादा मोठिया के नाम ही दर्ज करना चाहिये था परंतु बिना किसी अधिकार के भू प्रबंध विभाग ने उक्त ख0न0 को प्रतिवादी के पिता हजारीलाल के गलत दर्ज कर दिया तब से आज तक लगातार गलत इन्द्राज राजस्व रिकॅार्ड में चला आ रहा है जिसकी जानकारी दिनांक 20.04.18 को हुई व उसी दिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्द्राजात दुरूस्त कराने से बिनाय दावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अंदर अवधि पेश है। आदि–आदि का अंकन करते हुये वाद वादी का बहक वादीगण विरूद्ध वादीगण निम्न प्रकार डिकी इश्तकरारहक जारी की जावे की आ0ख0न0 780/0.21 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर हम वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व इसी कदर इन्द्राज किया जावे एवम प्रतिवादीगण को डिकी हु0ई0दवामी जारी कर पाबंद किया जावे कि वे हम वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा ना करे ना ही कही रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे का अंकन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये विधिवत तलबी उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश किया। मुताबिक जवाब दावा वकील प्रतिवादी ने वादीगण के वादपत्र के जिमनो को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि विवादित आराजी से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है ना ही कोई संबंध वो सरोकार है। उक्त आराजी से वादी व वादी के बुजुर्ग मोठिया का कोई संबंध नहीं है ना ही कभी काश्त ही किया। गलत तथ्यों पर दावा दायर किया गया है। उक्त आराजी मिन प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की अराजी है मौके पर काबिज है। आदि–आदि अंकित करते हुये विशेष कथन में उक्त विवादित आराजी मिन प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॅार्ड में खातेदारी दर्ज है। वादीगण के बुजुर्गान का कोई संबंध नहीं है अंकित करते हुए वादीगण के वाद को मय हर्जा के खारिज किये जाने का निवेदन रहा। प्रकरण में तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई।

1. आया विवादित साबिक आ0ख0न0 656/2 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा वाके जालावास वादीगण के दादा मोठिया की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। भू प्रबंध विभाग ने इसके हाल ख0न0 779/0.23 व 780/0.21 है0 कायम कर ख0न0 779 तो वादीगण के दादा के नाम सही दर्ज कर दिया परंतु ख0न0 780/0.21 है0 प्रतिवादीगण के पिता हजारीलाल के नाम गलत दर्ज कर दिया जिसे [illegible] दुरूस्त कराने के [illegible] –जिम्मेवादी
अधिकारी है
2. आया विवादित आराजी ख0न0 780/0.21 है0 वाके ग्राम [illegible]वास वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी घोषित कराकर प्रतिवादीगण को कब्जेकाश्त बाबत पाबंद कराने के अधिकारी है –जिम्मेवादी
3. अन्य दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

4\. आया वाद में विवादित आराजी से वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए ना तो वादीगण दुरूस्ती और ना ही वादीगण हु0 ई0 प्राप्त करने के अधिकारी है

–जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2071–74 किता 3 प्रदर्श –1, नकल जमाबंदी संवत 2022 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2018 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श–4, नकल बंदोबस्त संवत 2029 किता 3 प्रदर्श–5 एवम नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र शेरसिंह पी डब्ल्यू–01, जगमाल सिंह पी डब्ल्यू–02, नरेन्द्र पी डब्ल्यू–03, बोदनराम पी डब्ल्यू–04 पेश किये जिनकी जिरह साक्ष्यवादी रिकॉर्ड की गई जिसमें गवाह शेरसिंह ने जिरह मे कथन किया कि मोठिया सन 1977–78 में फौत हुआ था। मोठिया फौत होने से पहले ही जमींन हजारी के नाम हो गई। यह सही है कि मोठिया ने अपने जीवनकाल में जमींन गलत चढने की बात नहीं की और ना ही कोई केस किया और ना ही मोठिया के लडको ने कोई शिकायत नहीं की और ना ही कोई केस किया एवम ख0न0 1098, 1099 में हमरा 1/2 है औ 1/2 हजारी का है। फिलहाल मेरे याद नहीं कि उक्त आराजी ख0न0 हमारे कहां से आई, दादालाई चली आ रही है। यह सही है कि इस जमींन के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कितने खसरा नंबर है मुझे नहीं पता और यह भी सही है कि उक्त आराजी के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आराजी की लंबाई चौडाई किधर है मुझे नहीं पता। यह सही है कि शपथ पत्र मैने खुद ने लिखवाया है तथा फरवरी 2016 में इस वाद की जानकारी हुई थी व हजारी के नाम फिलहाल रिकॉर्ड में है पहले नहीं थी। यह बात सही है कि जमींन पहले तेजा के नाम थी उसके बाद मोठिया के आई। यह सही है कि संवत 2029 में यह जमींन हजारी के नाम हो गई उससे पहले रिकॉर्ड हमारे नाम था। यह कहना गलत है कि मै झूठे बयान दे रहा हूं। ठीक इसी प्रकार गवाह नरेन्द्र पी डब्ल्यू 3 ने जिरह में बताया कि मोठिया को मरे कितने साल हो गये मुझे पता नहीं। मोठिया के बाप का नाम सगरू था। यह कहना गलत है कि शेरसिंह मेरे परिवार के हो मैं शेरसिंह के घर से 200 मीटर दूर रहता हूं। यह सही है कि आज मेरे पास कोई नोटिस नहीं गया । मुझे शेरसिंह बुलाकर लाया है इसलिए मैं इसके पक्ष में बयान देने आया हूं। विवादित आराजी और इसके चारो तरफ की आराजी किसके नंबर है, चौडाई लंबाई किधर है मुझे पता नहीं एवम बोदनराम पी डब्ल्यू 4 ने जिरह में कथन किया कि शेरसिंह मेरा भाई लगता है और यह बात सही है कि शेरसिंह मुझे बुलाकर लाया है इसलिए मैं इसके पक्ष में बयान देने आया हूं। इसके चारों तरफ की आराजी की लंबाई चौडाई किधर है मुझे पता नहीं का कथन किया।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा [illegible] में दस्तावेजी साक्ष्य इकरारनामा दीना, प्रभाती प्रदर्श–डी1, [illegible] प्रदर्श–डी2, सेटलमेंट पर्चा संवत 2024 प्रदर्श–डी3, सेटलमेंट खतौनी प्रदर्श–डी4, भूप्रबंध पर्चा खतौनी प्रदर्श–डी5, सेटलमेंट पर्चा प्रदर्श–डी6, नकल जमाबंदी संवत 2024 प्रदर्श–डी7, खसरा परिशोधन परिपत्र भूप्रबंध विभाव प्रदर्श–डी8 तथा जमाबंदी संवत 2074 की फोटोप्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली हैं एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

(4)

सत्यपाल डी डब्ल्यू–1, जगन्नाथ डी डब्ल्यू–2, रामजीलाल डी डब्ल्यू–3, महेन्द्र सिंह डी डब्ल्यू–4 पेश किये। उक्त गवाहान प्रतिवादीगण के बाबत जिरह साक्ष्य रिकॉर्ड की गयी जिसके अनुसार गवाह सत्यपाल डी डब्ल्यू–1 ने दौराने जिरह अवगत कराया कि खसरा नंबर 780 रकबा 0.21 है जिसका साबिक ख0न0 656 मिन था। 656 का मिन नंबर 1/2 था या 1/1 यह मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि ख0न0 780 साबिक ख0न0 656/2 से बना हो जो वादीगण के दादा मोठिया के नाम हो। ख0न0 780 की पूर्वी डोल की लंबाई करीब 150 फीट है और दक्षिणी डोल 110 फीट के आस पास है। इस ख0न0 के उत्तर में शेरसिंह , दक्षिण मे रामपत, पूर्व मे ग्यारसा व हमारा खेत है तथा पश्चिम में धर्मपाल का खेत लगता है। यह कहना गलत है कि इस जमींन पर पहले भी व अब भी शेरसिंह वगै0 का कब्जा हो। प्रदर्श डी–1 व डी–2 में ख0न0 अंकित नहीं है जबकि कुल संपत्ति खेत, गुवाडा का जिक्र है। प्रदर्श डी–1 व डी–2 के लिखने वाले वादीगणों के बुजुर्गो में नहीं है। यह कहना गलत है कि भूप्रबंध विभाग द्वारा हमारे नाम गलत एन्ट्री करने के कारण हमारे मन में बेईमानी आयी हो एवम गवाह रामजीलाल डी डब्ल्यू– 3 ने दौराने जिरह अवगत कराया कि ख0न0 780 के बारे में जानता हूं। 780 का साबिक नंबर मोठिया के नाम हो मैं नहीं जानता मैं पदमाडा रहता हूं मुझे इस खेत के पडौसियों का भी पता नहीं है एवम गवाह महेन्द्र सिंह डी डब्ल्यू–4 ने दौराने जिरह अवगत कराया कि ख0न0 780 का पुराना नंबर क्या था , किसके नाम था मैं नही बता सकता। इस खेत के पूर्व में ग्यारसाराम, उत्तर में शेरसिंह, दक्षिण मे रामपत और पश्चिम में धर्मपाल का खेत है। इस खेत पर आज भी शेरसिंह वगै0 का कब्जा है फिर कहा सतपाल का कब्जा है।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि साबिक ख0न0 652/2 वादीगण के दादा मोठिया पुत्र तेजा की जमींन थी। जमाबंदी संवत 2013–17, 2018–21, 2022–25 पेश है। दादा मोठिया पुत्र तेजा के नाम अंकित है। संवत 2029 में सेटलमेंट में ख0न0 656/2 के दो ख0न0 779, 780 पैमूद किये। ख0न0 779 वादीगण के दादा के नाम कर दिया एवम ख0न0 780 भी हमारे नाम करना चाहिए था लेकिन प्रतिवादीगण के पिता के नाम कर दिया। इस प्रकार एंट्री चेंज करने का भूप्रबंध विभाग को अधिकार नहीं है। रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित है हम काबिज है। आदि–आदि अभिकथन करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

ठीक इसी प्रकार दौराने बहस वकील ,प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत है। जिसमें वा[illegible] अपने वादपत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उनके पू[illegible] से मिली जिस बाबत मोठिया की जमींन के बाबत का कि[illegible] रिकॉर्ड पे[illegible] किया। केवल मात्र संवत 2013 की जमाबंदी में मोठिया [illegible] एक्ट के अनुसार संभाग होना चाहिए। संवत 2018 [illegible] में मालिक की हैसियत दर्शा रखी है जिस बाबत वादीगण को स्पष्ट रूप से साबित करना आवश्यक है कि जमींन कैसे आयी। प्रदर्श डी–1 में दीना, प्रभात पुत्रान तुलाराम एवम डी–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

श्योनारायण ने क्रमशः अपनी–अपनी लिखतम स्टाम्प पर दिनांक 15.06.1953 एवम 11.06.1953 में लिखा है कि वे पदमाडा खुर्द के रहने वाले है और उनकी जमींन खेत, संपत्ति ग्राम जालावास में है। उक्त ग्रामं जालावास की कुल संपत्ति खेत व गुवाडा हमने जयनारायण पुत्र मंगतू अहीर जालावास निजामत मुण्डावर राज्य अलवर को अपनी राजी खुशी, होश हवास में दे दिया। राज़ी खुशी, होश हवास दुरूस्ती में लिख दी ताकि सनद रहे। इस लिखतम को कहीं किसी समय झूठा समझू या अस्वीकार करू तो राज पंचों में झूठा समझा जाउंगा। उपरोक्त लिखतमों पर लिखतम लिखने वालों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानियों के साथ–साथ बतौर गवाह भगवान पुत्र इन्द्राज, ओमकार पुत्र गोरीसहाय, मोठी पुत्र तेजा, हीरा पुत्र नत्थू आदि के अंगूठा निशानी है जबकि राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम सन 1955 में लागू हुआ था जबकि उक्त लिखतम सन 1953 की पृथक–पृथक दिनांकों में वादीगण के पूर्वज की उपस्थिति एवं गवाही के साथ–साथ लिखी हुई है। ठीक इसी प्रकार प्रदर्श–4 पर ए आर ओ का फैसला अनआराजीयात ख0न0 के साथ–साथ ख0न0 780 के बाबत संपूर्ण डिटेल के साथ अंकित है जिसके मुताबिक रामजीलाल, जगन्नाथ, हरिसिंह ने आकर जाहिर किया कि हमारे दादाजी प्रभातीलाल व पिताजी शिवनारायण फौत हो गये है। हम उनके वारिस है। हम ग्राम पदमाडा में रहते है। अतः ख0न0 254, 367, 754, 780, 1094 कुल किता 5 को हजारीलाल ही काश्त करता है और इसी ग्राम में रहता है जो रिश्ते में हमारा भतीजा लगता है उसी के कर दिये जावे। साथ ही उक्त ख0न0 का रकबा दर्शाते हुए ख0न0 780 रकबा 17 बिस्वा अंकित करते हुए कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा हजारीलाल नबीरा जयनारायण के दर्ज हो अंकित कर संबंधित ए आर ओ के दिनांकित 06.05.1969 में हस्ताक्षरित है साथ ही उक्त आदेश की बाबत इसी पुश्त पर अमल किये जाने के बाबत दिनांक 19.06.1969 में अंकन है कि श्रीमानजी मुताबिक आदेश अमल किया गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी मोठिया की दादालाई की आराजी नहीं थी और जब खसरा परिशोधन पत्र ए आर ओ के समक्ष संपूर्ण कार्यवाही की गई है तो सही माना जावेगा। उक्त आराजीयात 1998, 1999 की जमाबंदीयात में भी उक्त पदमाडा वाले लोगों के नाम की थी। इस प्रकार प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकॉर्ड एवम गवाहान से भी साबित नहीं है कि वादीगण एवम उनके पूर्वजों का कभी कब्जा रहा हो। गवाह शेरसिंह ने अपने जिरह में स्पष्ट कहा है कि उक्त मोठिया की आराजी जो वादी का ख़ेत है कि लंबाई चौडाई का पता नहीं और मोठिया की जमींन के बाबत मोठिया व मोठिया के लडकों ने कोई केस नहीं किया। तीसरी पीढ़ी ने केस किया है। उक्त जमींन तेजा के नाम थी यह भी अंकित किया है जबकि प्रस्तुत समस्त रिकॉर्ड में इस प्रकार मोठिया पुत्र तेजा के बाबत का कोई अंकन नहीं है। इसके साथ ही वादीगण के गवाह नंबर 2 व 3 ने [illegible] है कि शेरसिंह ने बुलाया है उसी की गवाही देनी है। इस प्रकार गवाहों से भी [illegible] नहीं है। यदि सहखातेदारी की एंट्री पूर्व रिकॉर्ड में हो गयी तो उपरोक्तानुसार विवादित आराजी के बाबत वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं [illegible] आदि आदि का निवेदन करते हुए अभिकथन किया कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राजस्व रिकॉर्ड एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप गवाहान के शपथ पत्र जो दौराने जिरह वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

वादी सुसंगत ढंग से संपूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने के आधार पर वादीगण के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्तानुसार वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक सुनी गयी बहस एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

1. आया विवादित साबिक आ0ख0न0 656/2 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा वाके जालावास वादीगण के दादा मोठिया की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। भू प्रबंध विभाग ने इसके हाल ख0न0 779/0.23 व 780/0.21 है0 कायम कर ख0न0 779 तो वादीगण के दादा के नाम सही दर्ज कर दिया परंतु ख0न0 780/0.21 है0 प्रतिवादीगण के पिता हजारीलाल के नाम गलत दर्ज कर दिया जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे रहा है जिसके आधार पर वादीगण ने निवेदन किया है कि साबिक ख0न0 656/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा थे जिससे भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0 न0 779/0.23 व 780/0.21 है0 पैमूद किये हुए है। उक्त विवादित आराजी हम वादीगण के दादा मोठिया पुत्र तेजा की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा उनकी मृत्यु पश्चात हम वादीगण के पिता एवम उनकी मृत्यु उपरांत ,हम वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। आज भी मौके पर हम काबिजकाश्त है। सजरा पेश है। नये ख0न0 बनाते समय हाल ख0न0 979/0.23 है0 तो हम वादीगण के दादा मोठिया के नाम सही दर्ज कर दिया परंतु ख0न0 780/0.21 है0 भी दादा मोठिया के नाम ही दर्ज करना चाहिये था परंतु बिना किसी अधिकार के भू प्रबंध विभाग ने उक्त ख0न0 को प्रतिवादी के पिता हजारीलाल के गलत दर्ज कर दिया जिसके समर्थन में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2071–74 किता 3 प्रदर्श –1, नकल जमाबंदी संवत 2022 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2018 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श–4, नकल बंदोबस्त संवत 2029 किता 3 प्रदर्श–5 एवम नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र शेरसिंह पी डब्ल्यू–01, जगमाल सिंह पी डब्ल्यू–02, नरेन्द्र पी डब्ल्यू–03, बोदनराम पी डब्ल्यू–04 पेश किये जिनकी जिरह साक्ष्यवादी रिकॉर्ड की गई जिसमें गवाह शेरसिंह ने जिरह मे कथन किया कि मोठिया सन 1977–78 में फौत हुआ था। मोठिया फौत होने से पहले ही जमींन हजारी के नाम हो गई एवम इसी अनुसार दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया [illegible] वादीगण के दादा मोठिया पुत्र तेजा की जमींन थी। जमाबंदी संवत [illegible] 2018–21, 2022–25 पेश है। दादा मोठिया पुत्र तेजा [illegible] में सेटलमेंट में ख0न0 656/2 के दो ख0न0 [illegible] 780 पैमूद [illegible] ख0न0 779 वादीगण के दादा के नाम कर दिया एवम [illegible] 780 भी हमारे नाम करना चाहिए था लेकिन प्रतिवादीगण के पिता के नाम कर दिया। इस प्रकार [illegible] चेंज करने का भूप्रबंध विभाग को अधिकार नहीं है। रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित है हम काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

इसी अनुसार दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत है। जिसमें वादीगण ने अपने वादपत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उनके पूर्वज मोठिया को जमींन कहां से मिली जिस बाबत मोठिया की जमींन के बाबत का विरासत का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। केवल मात्र संवत 2013 की जमाबंदी में मोठिया हिस्सेदार था जिसके मुताबिक टीनेंसी एक्ट के अनुसार संभाग होना चाहिए। संवत 2018 में जमाबंदी के कॉलम में मालिक की हैसियत दर्शा रखी है जिस बाबत वादीगण को स्पष्ट रूप से साबित करना आवश्यक है कि जमींन कैसे आयी। प्रदर्श डी–1 में दीना, प्रभात पुत्रान तुलाराम एवम डी–2 श्योनारायण ने क्रमशः अपनी–अपनी लिखतम स्टाम्प पर दिनांक 15.06.1953 एवम 11.06.1953 में लिखा है कि वे पदमाडा खुर्द के रहने वाले है और उनकी जमींन खेत, संपत्ति ग्राम जालावास में है। उक्त ग्राम जालावास की कुल संपत्ति खेत व गुवाडा हमने जयनारायण पुत्र मंगतू अहीर जालावास निजामत मुण्डावर राज्य अलवर को अपनी राजी खुशी, होश हवास में दे दिया। राजी खुशी, होश हवास दुरूस्ती में लिख दी ताकि सनद रहे। इस लिखतम को कहीं किसी समय झूठा समझू या अस्वीकार करू तो राज पंचों में झूठा समझा जाउंगा। आदि–आदि के उपरोक्त विवेचन को केवल मात्र पूर्व खातेदारों द्वारा लिखी गयी लिखतम को साबित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण मानते हुए स्पष्ट रूप से बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

2. आया विवादित आराजी ख0न0 780/0.21 है0 वाके ग्राम जालावास वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी घोषित कराकर प्रतिवादीगण को कब्जेकाश्त बाबत पाबंद कराने के अधिकारी है।

   इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है और जब तनकी सं0 1 बहक वादीगण स्वीकार योग्य पायी जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहक वादीगण साबित पाता है।

3. अन्य दादरसी
4. आया वाद में विवादित आराजी से वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए ना तो वादीगण दुरूस्ती और ना [illegible] के अधिकारी है।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार [illegible] एवम जब तनकी सं0 1 व 2 स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहक वादीगण साबित हो जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाये जाने की स्थिति में बहक वादीगण साबित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(8)

अनुतोष– उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्तानुसार तनकीवार वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के आराजी खसरा नंबर 780 रकबा 0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईन्तनाई दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को रहन बय आदि प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे, ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

03/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर राज0

यह निर्णय आज दिनांक **03-03-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायलय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

03/3/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.— 247/2018 दायरा दिनांक :—26.07.2018 निर्णय दिनांक :— 03.03.2021

1. शेरसिंह पुत्र मक्खन
2. रामनिवास पुत्र मक्खन
3. मामचन्द पुत्र फूलसिंह जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. करतार पुत्र हजारीलाल
2. सत्यपाल पुत्र हजारीलाल
3. करमेश पुत्र हजारीलाल जातियान अहीर निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय जिला अलवर राजस्थान।
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राजात बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से श्री जगन्नाथ यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.03.2021 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती हैः—

उपरोक्तानुसार तनकीवार वादीगण, के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के आराजी खसरा नंबर 780 रकबा 0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म ईन्तनाई दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को रहन बय आदि प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे, ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

03/03/2021

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर राज0